विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये

अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
17 (क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद प्रयागराज, वि०ख० हण्डिया तहसील ग्राम सुअरा भूमि संरक्षण विभाग से कई वर्ष पहले बनी नाली जर्जर हो जाने के कारण उक्त नाली को पुनः बनाये जाने हेतु आई०जी०आर०एस० संख्या-92217500059202 के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है?	जी हॉं
(ख) यदि हॉं, तो क्या उक्त नाली का पुनः निर्माण करा दिया गया है?	उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 एवं उत्तर प्रदेश सरकार, क्षेत्रीय विकास अनुभाग-1 अधिसूचना दिनांक 19-02-1990 में निहित प्राविधानानुसार प्रक्षेत्र विकास कार्यो (कच्ची गूल, पक्की गूल, जल नियंत्रक संरचनायें एवं जल निकास) का निष्पादन कराया जाता है। उक्त अधिनियम एवं अधिसूचना में अनुरक्षण एवं मरम्मत किये जाने का दायित्व कुलाबे की जल प्रबन्ध समिति को है। पुनः नाली निर्माण किये जाने का प्राविधान विभाग में नहीं है।
(ग) यदि नहीं, तो उक्त नाली का निर्माण कब तक करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।

Signed by स्वतंत्र देव सिंह
Date: 15-02-2023 15:17:29
Reason: Approved

(स्वतंत्र देव सिंह)
मंत्री
जल शक्ति विभाग